न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम, बाढ़

उपस्थितः– अमित कुमार दीक्षित

नियमित जमानत आवेदन संख्या 118 / 2026

पंडारक थाना कांड संख्या 167 / 2025

24.03.2026

इस कांड में दिनांक **22.01.2026** से काराधीन आवेदक / अभियुक्त **सुमित कुमार उर्फ जेलर** की ओर से दिनांक 23.02.2026 को नियमित जमानत आवेदन दाखिल किये गये हैं। जमानत आवेदन की प्रति अभियोजन को प्रदान किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं किया है। आवेदक निर्दोष है, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। अभियोजन के द्वारा लगाया गया आरोप बिल्कुल झूठा है। प्राथमिकी में जिस प्रकार बताया गया है उस प्रकार की घटना नहीं हुई है। आवेदक पर कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। आवेदक के सचेत कब्जा (Conscious Possession) से कोई आग्नेयास्त्र या गोली की बरामदगी नहीं हुई है, बल्कि कथित आग्नेयास्त्र की बरामदगी सह अभियुक्त के पास से हुई है। प्राथमिकी के अनुसार किस कमरे से कथित बरामदगी हुई है यह स्पष्ट नहीं है। आवेदक कथित घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। आवेदक के विरूद्ध कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। अतः आवेदक के विरूद्ध धारा 25(1-B)a, 26, 35 शस्त्र अधिनियम के तहत मामला नहीं बनता है। इस कांड के सह अभियुक्त संजय यादव को पूर्व में अग्रिम जमानत आवेदन सं0 1347 / 2025 दिनांक 19.01.2026 के माध्यम से जमानत दी जा चुकी है। आवेदक को ग्रामीण राजनीति एवं दुश्मनी के तहत झूठा मुकदमा में फंसाया गया है। आवेदक के विरूद्ध पूर्व से कई आपराधिक इतिहास दर्ज है। आवेदक 22.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक न्यायालय की किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार है, इसलिए इन्हें किसी भी शर्त का जमानत दिया जाय, जमानतदार देने को तैयार हैं।

अभियोजन ने नियमित जमानत आवेदन का विरोध किया है।

उपर्युक्त नियमित जमानत पर उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे मैं पाता हूं कि इस वाद में प्राथमिकी पंडारक थाना कांड सं0 167 / 2025 दिनांक 27.09.2025 को धारा 25(1-B)a, 26, 35 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया गया है तथा सूचक के द्वारा प्राथमिकी में यह अभियोग लगाते हुए कथन किया गया है कि दिनांक 27.09.2025 को संध्या गश्ती के क्रम में समय 18:40 बजे थानाध्यक्ष पंडारक द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि ग्वासा गांव में 3–4 की संख्या में अपराधकर्मी किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के मकसद से हथियार लेकर इकट्ठा हैं। इस सूचना पर समय 19:35 बजे ग्वासा शेखपुरा गांव में दुर्गा मंदिर के पास पहुंचा तो 4 व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे जिसे खदेड़ कर पुलिस के सहयोग से दो व्यक्तियों को पकड़ा गया तथा दो व्यक्ति भागने में सफल हो गया। पकड़ाए व्यक्तियों द्वारा अपना–अपना नाम क्रमशः करमवीर कुमार एवं साहिल राज बताया। तलाशी के क्रम में पकड़ाए दोनों व्यक्तियों में से करमवीर कुमार के कमर के दाहिने भाग में फुलपैन्ट में खोंसा हुआ लोहे का एक देशी कट्ट बरामद हुआ जिसके बट की लंबाई लगभग 6 अंगुल, बट पर लकड़ी का मुठ्ठा लगा हुआ, बैरल की लंबाई 8 लंबाई, बॉडी की लंबाई 5 अंगुल, कट्टा का कुल लंबाई लगभग एक बीता है एवं दाहिने पॉकेट से रियलमी कंपनी का 1 एन्ड्राईड मोबाईल बरामद हुआ जिसे जप्ती सूची बनाकर जप्त किया गया तथा पकड़ाये दूसरे व्यक्ति साहिल राज के पहले हुए ट्राउजर के दाहिने पॉकेट से एक आई फोन एवं 1 खोखा बरामद हुआ तथा घटनास्थल के पास एक रेड व ब्लैक कलर का मोटरसाइकिल जिसके नंबर प्लेट पर BR01HU9636 & Chasis No. MBLHHAW223RHD69695 अंकित है को जप्ती सूची बनाकर जप्त किया गया। पकड़ाये व्यक्तियों द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि दोनों भागने वाला व्यक्ति का नाम सुमित कुमार उर्फ जेलर एवं संजय यादव है, यही दोनों व्यक्ति हम दोनों को रोड पर लूटपाट करने के लिए बुलाए हुए थे जिसके बारे में बोला था कि जो भी पैसा मिलेगा उसमें हमलोग बराबर बांट लेंगे। तब हमलोग जुट कर प्लान ही बना रहे थे कि पुलिस आ गई एवं पकड़ ली।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात एवं अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि कांड

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम, बाढ़

उपस्थितः– अमित कुमार दीक्षित

नियमित जमानत आवेदन संख्या 118 / 2026

पंडारक थाना कांड संख्या 167 / 2025

लगातार

24.03.2026 दैनिकी अभिलेख के साथ संलग्न है। कांड दैनिकी के कंडिका 2 में जप्ती सूची है, कंडिका 3 में वादी का पुनः बयान है, कंडिका 4 एवं 5 के साक्षियों के द्वारा घटना के बारे में बताया गया है, कंडिका 11 में घटनास्थल है। इसके अतिरिक्त बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी के अनुसार आवेदक के सचेत कब्जा (Conscious Possession) से किसी प्रकार का कोई आग्नेयास्त्र की बरामदगी नहीं हुई है, बल्कि कथित आग्नेयास्त्र की बरामदगी सह अभियुक्त के पास से हुई है तथा कथित जप्ती का कोई स्वतंत्र साक्षी भी नहीं है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता यह भी निवेदन करते हैं कि इस कांड के सह अभियुक्त संजय यादव को पूर्व में अग्रिम जमानत आवेदन सं0 1347 / 2025 दिनांक 19.01.2026 के माध्यम से जमानत दी जा चुकी है। आवेदक दिनांक 22.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

इस प्रकार उपर्युक्त वर्णित तथ्यों, परिस्थितियों, कारा में बिताई गई अवधि एवं आवेदक के सचेत कब्जा (Conscious Possession) से बरामदगी नहीं होने के तथ्यों पर विचार करने के उपरांत आवेदक को सशर्त जमानत पर उपनिहित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदक की ओर से मो0 10,000 रुपये के दो प्रतिभू द्वारा बंधपत्र दाखिल करने निम्न शर्तों के आलोक में जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है, 1. आवेदक को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वह विचारण में पूर्ण सहयोग करेंगे तथा यदि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाता है तो प्रत्येक एवं सभी तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित रहेंगे एवं इस तरह के अपराध के पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। उपर्युक्त शर्त के अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय आवेदक के बंधपत्र को निरस्त करने हेतु स्वतंत्र होंगे। इस आदेश में की गई टिप्पणी जमानत आवेदन निष्पादन होने तक सीमित है, इस कांड में अन्वेषण, जांच या विचारण के स्तर पर गुण–दोष को प्रभावित नहीं करेगा।

लेखापित एवं शुद्धित

Sd/-

(अमित कुमार दीक्षित)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम,बाढ़